भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4118

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है

न्यायालयों में मामलों का लंबित होना

4118 डा. अशोक बाजपेयी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए मामलों, लंबित मामलों/मामलों के निपटान का वर्ष-वार और उप-श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों निपटान में विलंब अक्सर केन्द्र सरकार की ओर से शपथ पत्र/उत्तर दाखिल न किए जाने के कारण होता है ; और

(ग) सरकार की ओर से समय पर उत्तर/शपथ पत्र दायर किए जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई निगरानी प्रणाली हो, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान फाइल किए गए, लंबित और निपटाए गए मामलों का ब्यौरा निम्नलिखित है :--

क्र.सं.	वर्ष	संस्थित मामले	निपटाए गए मामले	लंबित मामले
1	2017	56,104	63,053	55,588
2	2018	39,228	37,470	57,346
3	2019	43,613	41,100	59,859
4	2020	25,897	20,670	65,086
5	2021	29,739	24,586	70,239

इसके अतिरिक्त, विगत पांच वर्षों के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय में फाइल किए गए, लंबित और निपटाए गए मामलों की संख्या की श्रेणी-वार ब्यौरों से संबंधित जानकारी मांगी गई रीति में नहीं रखी जाती है । यद्यपि, तारीख 30.03.2022 तक उच्चतम न्यायालय में यथा उपलब्ध लंबित मामलों की श्रेणी-वार जानकारी **उपाबंध** पर है ।

(ख) और (ग) : विधि कार्य विभाग ने प्रक्रियाओं में असुविधा और विलंब से बचने के लिए न्यायालयों में उत्तर/प्रति-शपथपत्र को समय से फाइल करने के लिए सभी सरकारी मंत्रालयों/विभागों को तारीख 27.08.2015 और 09.06.2016 को संसूचना जारी की है । विभाग समय-समय पर यह निदेश भी जारी करता रहा है कि मंत्रालय/विभाग के नोडल अधिकारियों को मामलों की उचित देखभाल के लिए सरकारी परामर्शी के संपर्क में बने रहना चाहिए । विभाग, भारत संघ की मुकदमेंबाजी का प्रबंध करने के साथ ही साथ भारत संघ से जुड़े मामले को न्यायालय में अर्जेंट हैंडलिंग और तुरंत कार्रवाई के महत्व पर बल देने का गंभीर प्रयास कर रहा है, इसके साथ ही तारीख 22 जून, 2020 को विधि सचिव ने विद्वान विधि अधिकारियों से समन्वय बनाने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों से अपने मंत्रालय/विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिव के स्तर का एक नोडल अधिकारी नामनिर्देशित करने के लिए अनुरोध किया है, इसके साथ ही साथ उनको तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए कहा है । इस पत्र के पश्चात्, तारीख 22 अक्तूबर, 2021 और 6 जनवरी, 2022 द्वारा दो अतिरिक्त पत्रों और दिए गए थे । अतः, 45 मंत्रालयों/विभागों ने समर्पित नोडल अधिकारियों को नामनिर्देशित किया है । विधि कार्य विभाग ने भी लीगल इनफार्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम (एलआईएमबीएस) भी आरंभ किया है, जो ऐसे मामलों के लिए, जहां भारत संघ एक पक्षकार है, प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों द्वारा न्यायालय मामलों की जानकारी और मानीटरी को अपलोड करने के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन है । यह उससे संबंधित न्यायालय मामलों को मानीटर करने के लिए मंत्रालयों/विभागों की सहायता करेगा ।

******

<u>उपाबंध</u>

न्यायालयों में मामलों का लंबित होना से संबंधित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4118 जिसका उत्तर तारीख 07.04.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

तारीख 30.03.2022 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में श्रेणीवार लंबित मामले

क्र.सं.	श्रेणी	लंबित मामले
1.	श्रम मामले (100)	1,847
2.	किराया अधिनियम मामले (200)	420
3.	प्रत्यक्ष कर मामले (300)	4,182
4.	अप्रत्यक्ष कर मामले (400)	5,651
5.	भूमि अर्जन और अधिग्रहण मामले (500)	4,477
6.	सेवा मामले (600)	6,954
7.	शैक्षणिक मामले (700)	160
8.	लेटर पेटिशन और जनहित याचिका मामले (800)	2,884
9.	निर्वाचन मामले (900)	447
10.	कंपनी विधि, एमआरटीपी, टीआरएआई, सेबी, आईडीआरएआई और आरबीआई (1000)	2,220
11.	माध्यस्थम् मामले (1100)	1,491
12.	प्रतिकर मामले (1200)	1,558
13.	बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले (1300)	59
14.	दांडिक मामले (1400)	14,052
15.	कानूनी निकाय के आदेशों के विरुद्ध अपील (1500)	954
16.	कुटुंब विधि मामले (1600)	687
17.	न्यायालय अवमान मामले (1700)	471
18.	साधारण सिविल मामले (1800)	12,125
19.	तीन न्यायाधीश न्यायपीठ मामले (1900)	521
20.	पांच न्यायाधीश न्यायपीठ मामले (2000)	202
21.	सात न्यायाधीश न्यायपीठ मामले (2200)	15
22.	नौ न्यायाधीश न्यायपीठ मामले (2300)	134
23.	संवैधानिक कृत्यकारियों की नियुक्ति इत्यादि (2400)	29
24.	कानूनी नियुक्ति और अन्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति (2500)	82
25.	स्वीय विधि मामले (2600)	1,261
26.	धार्मिक और पूर्त विन्यास (2700)	449
27.	वाणिज्यिक विधियां, बैंककारी सहित व्यापारिक संव्यवहार (2800)	690
28.	साधारण धन और बंधक मामले इत्यादि (2900)	184
29.	न्यायपालिका से संबंधित मामले (3000)	288
30.	चिकित्सा और इंजीनियरी से भिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (3100)	31
31.	शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और मान्यता (3200)	135
32.	सरकारी स्थान (बेदखली) अधिनियम के अधीन बेदखली (3300)	89
33.	खान, खनिज और खनन पट्टे (3400)	587
34.	भूमि विधियां और कृषि किराएदारी (3500)	1,611
35.	नवाधिकरण और समुद्रीय विधियां (3600)	18
36.	जांच आयोग से संबंधित मामले (3700)	3
37.	उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मामले (3800)	1,560

38.	सशस्त्र बल और अर्द्धसैनिक बल से संबंधित मामले (3900)	599
39.	इंजीनियरी और चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश/स्थानांतरण (4000)	498
40.	चिकित्सा महाविद्यालयों को प्रवेश/स्थानांतरण में अखिल भारतीय कोटा आबंटन का 15% (4100)	2
41.	पट्टा, सरकारी संविदाएं और स्थानीय निकायों द्वारा संविदा से संबंधित मामले (4200)	323
42.	राज्य उत्पाद शुल्क- मदिरा का व्यापार-विशेषाधिकार, अनुज्ञप्ति-मद्यनिर्माणशाला सुरा कर्मशाला (4300)	360
43.	भारत के संविधान के अनुच्छेद 317(1) के अधीन निर्देश (4500)	3
44.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 14 के अधीन निर्देश (4700)	1
45.	आदेशों के लिए (14700)	13
46.	श्रेणी के बिना	149
	कुल	**70,476**

****